izk:i

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय,जयपुर

माननीय डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक – 11/2/2012 से 12/2/2012 तक जिला – बून्दी, राजस्थान के राजकीय प्रवास की रिपोर्ट

आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव के दिनांक – 11/2/2012 से 12/2/2012 तक जिला – बूंदी, राजस्थान के राजकीय प्रवास कार्यक्रम एवं जिला प्रशासन के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा रही विकास योजनाओं एवं अत्याचार प्रकरणों की समीक्षा के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा राजस्थान सरकार के सम्बन्धित विभागो तथा कलक्टर – बूंदी को पत्र लिखे गये जो कि अनुलग्नक – 1 एवं अनुलग्नक – 2 पर सलंग्न है।

दिनांक 11/02/2012

दिनांक – 11/02/2012 को माननीय प्रातः 7.30 रेल द्वारा कोटा पहुँचे। कोटा जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा, डॉ. जी. एस. सोमावत, निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय –जयपुर, श्री चेतन कुमार शर्मा, अन्वेषक तथा अखिल भारतीय श्री मीणा समाज, बून्दी के पदाधिकारियों द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वगत किया गया। उसके पश्चात् कोटा से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान कर माननीय अध्यक्ष महोदय प्रातः 9.00 बजे बून्दी पहुँचे। बून्दी सर्किट हाउस में आदिवासी जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों (श्री देवानन्द माथुर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं श्री मुरलीधर मीणा, उपखण्ड अधिकारी–केशेरायपाटन) द्वारा स्वागत किया गया।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार पूर्वान्ह में प्रातः 11.00 से माननीय अध्यक्ष महोदय ने आदिवासी बाहुल्य ग्रामों का दौरा किया। जिनका विवरण निम्नवत है।

ग्राम – लाखा की झोपड़ी, पंचायत समिति – तालेड़ा, जिला–बून्दी

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वप्रथम ग्राम – लाखा की झोपडी का दौरा किया गया। ग्राम लाखा की झोपड़ी जिला मुख्यालय से लगभग 13 किमी दूर तथा पंचायत समिति – तालेड़ा से 5 किमी दूरी पर स्थित है। ग्राम लाखा की झोपड़ी की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या 154 तथा घरों की संख्या – 30 है। जिसमें मुख्यतः मीना अनुसूचित जनजाति के पड़ियार, चीता, मोटीस एवं बलात गोत्र के परिवार निवास करते है। ग्राम लाखा की झोपड़ी मुख्य सड़क से मात्र 1.5 किमी अन्दर स्थित है। ग्राम की मुख्य समस्या, मुख्य सड़क से ग्राम में

आवागमन का मार्ग कच्चा होने के कारण वर्षा ऋतु में गांव के चारों तरफ पानी भर जाने के कारण मार्ग अवरूद्ध हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राम की सर्वप्रथम राजकीय प्राथमिक विद्यालय – लाखा की झौपड़ी का अवलोकन किया एवं विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. स.	कक्षा	विद्यार्थी
01	01	02
02	02	04
03	03	04
04	04	08
05	05	03
	योग	21

विद्यालय में कार्यरत दोनों अध्यापक श्री सुनील शास्त्री एवं श्री शंकर लाल मीणा उपस्थित थे। विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पाठ्य सामग्री, विद्यालय भवन का रख–रखाव एवं अन्य संसाधन बहुत ही खराब स्थिति में पाये गये। माननीय अध्यक्ष द्वारा कुछ छात्र–छात्राओं कक्षा – 4 एवं कक्षा – 5 से हिन्दी पुस्तक का पठन करवाया। कक्षा – 3 के छात्रों से पहाड़ा भी बोलने हेतु कहा गया। छात्र–छात्राओ को पुस्तक पढ़ने एवं पहाड़ा बोलने में कुछ दिक्कते आयी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अध्यापकों को विद्यार्थियों पर अधिक मेहनत करने हेतु कहा गया।

अध्यक्ष महोदय को बताया गया कि जिला प्रशासन ने सभी राजकीय विद्यालयों के बाहर शिक्षा हैल्प लाईन का नम्बर 9413414177 मुद्रित करवा रखा है, जिस पर कोई भी ग्रामीणजन विद्यालय से शिक्षक की अनुपस्थिति की सूचना जिला प्रशासन को दे सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने माननीय अध्यक्ष महोदय को यह भी बताया कि मिड – डे मील योजना के तहत सभी विद्यालयों में जिला प्रशासन ने सप्ताहिक मीनू बना रखा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्र. स.	सप्ताह का दिन	पोषाहार का विवरण
01	सोमवार	सब्जी, रोटी, फल
02	मंगलवार	चावल, दाल/सब्जी
03	बुद्धवार	खिचड़ी/दाल–चावल
04	गुरूवार	दाल, रोटी
05	शुक्रवार	दाल, रोटी
07	शनिवार	सब्जी, रोटी

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लाखा की झोपड़ी के भवन में रैम्प, बरामदा, दो कक्षाऐं तथा एक प्रशासनिक कक्ष बना हुआ है। विद्यालय में वर्ष 2007–08 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत पक्के शौचालय का निर्माण भी 20,000/– की लागत से करवाया गया है। मिड–डे–मील

योजना के तहत पोषाहार तैयार करने हेतु पक्का रसोई घर भी बनाया हुआ था, जिसमें पोषाहार तैयार किया जा रहा है।

विद्यालय अवलोकन के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने ग्राम लाखा की झोपड़ी के निवासियों से भी बैठक कर ग्राम विकास एवं समस्याओं को जाना।

बैठक में सर्वप्रथम श्री जलवीर सिंह यादव, सरपंच द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय एवं डॉ. जी. एस. सोमावत, निदेशक महोदय का स्वागत किया गया। जिसके उपरान्त सरपंच द्वारा ग्राम – लाखा की झोपड़ियों की समस्याओं के संदर्भ में एक विस्तृत प्रतिवेदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय को बताया गया। बैठक के दौरान ग्राम वासियों द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष निम्न समस्याऐं रखी।

1. ग्राम सचिव की नियुक्ति नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत अपनी कार्य योजना समय पर नहीं बना सकी।
2. सात गांवों में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की नियुक्ति कर रखी है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के कार्य से ग्रामवासियों ने असंतोष जताया।
3. हल्का पटवारी के सम्बन्ध में ग्रामीणों ने बताया कि हल्का पटवारी शराबी एवं जुंआरी है तथा जिला प्रशासन को बार–बार लिखित में शिकायत करने के उपरान्त भी जिला प्रशासन ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही नहीं करता है।
4. ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय नहीं है, जिसके कारण बालिका शिक्षा प्रभावित होती है।
5. निबुंदा पुलिया का निर्माण नहीं होने के कारण ग्राम के विद्यार्थीयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय आवागमन में बरसात के मौसम में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है साथ ही गांव में उत्पन्न खाद्यान्न को भी रास्ता अवरूद्ध होने के कारण सही समय पर आदिवासी किसान मण्डी में बेचान नहीं कर पाते है।
6. गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ग्रामवासी महिला शिक्षिका की नियुक्ति चाहते है।
7. गांव की सभी महिलाऐं घरों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय चाहती है, जिसके लिए सभी एपीएल परिवारों को भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के समान ही आर्थिक सहायता चाहती है।

(कार्यवाही जिला प्रशासन – बून्दी)

बैठक के अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय ने ग्रामवासियों को सम्बोधित करते हुए महिला शिक्षा को प्रत्येक आदिवासी परिवार में अनिवार्य बनाने, सभी घरों में शौचालय निर्माण, पशुधन एवं प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन, महानरेगा के तहत निर्माण, काम के समुचित बंटवारे एवं प्रबन्धन पर जोर दिया जिससे प्रवासन एवं नगरीकरण जैसी समस्याओं से निपटा जा सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य सड़क से ग्राम की संयोजन सड़क तक डामरीकरण हेतु जिला प्रशासन को कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का आश्वासन भी दिया। जिला कलेक्टर द्वारा कार्यवाही एवं प्रगति आयोग को भेजना सुनिश्चित करें।

ग्राम – भीमपुरा, पंचायत समिति – तालेड़ा, जिला – बून्दी

ग्राम – भीमपुरा पहुँचने पर सरपंच श्री दयाराम मेघवाल एवं जिला प्रमुख श्री राकेश बोयत ने माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया।

ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम – भीमपुरा में कुल 50 घरो की आबादी है। जिसमें मीणा, भील एवं मेघवाल समुदाय के परिवार निवास करते है। ग्रामवासियों से बैठक के दौरान ग्रामवासियों ने निम्न समस्याओं से अवगत कराया।

1. गांव में मुख्य सड़क से गांव तक सम्पर्क सड़क का अभाव है। जिसके कारण आवागमन में सबसे अधिक समस्या होती है।
2. ग्राम पंचायत में महानरेगा के कार्य विगत एक वर्ष से बन्द है।
3. गांव में विद्युत सप्लाई नहीं है तथा ग्रामवासियों से विद्युत कनेक्शन के लिए अनुचित रकम विभाग द्वारा जमा करवाई जा रही है।
4. भीमपुरा गांव की कालबेलिया बस्ती के लिए स्वीकृत ट्यूबवैल को पूर्व प्रधान श्री नाथूलाल गुर्जर ने अपने खेत में लगवाकर खेतों की सिंचाई करना बताया तथा ग्रामवासी पेयजल की समस्या से ग्रसित है। जिला प्रशासन को शिकायत करने पर भी अभीतक कार्यवाही नहीं की गयी है।
5. ग्राम की गौचर भूमि पर भी पूर्व प्रधान श्री नाथूलाल गुर्जर द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। जिसके संदर्भ में भी जिला प्रशासन मौन है।
6. ग्रामवासियों द्वारा गरड़दा बांध की मरम्मत का अनुरोध किया। जिससे आस–पास के क्षेत्र का जलस्तर में सुधार हो सकें।
7. बाढ़ पुर्नवास के तहत स्वीकृत धन से आज तक पुलिया मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है।
8. इस गांव में केवल दो ही परिवारों को इन्दिरा आवास योजना का लाभ मिला है।
9. गांव में जानवरों के लिए पेयजल की कोई भी व्यवस्था नहीं है।

(कार्यवाही जिला प्रशासन, बून्दी)

बैठक के अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु प्रयास करने हेतु आश्वासन देते हुए ग्रामवासियों बालिकाओं की शिक्षा एवं अपने मूल अधिकारों के प्रति जागरूता का संदेश दिया तथा जिला कलेक्टर – बून्दी द्वारा कार्यवाही की प्रगति की रिपोर्ट आयोग को भेजना सुनिश्चित करें।

ग्राम – भीमपुरा से वापसी के दौरान माननीय अध्यक्ष द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय – भीमपुरा का भी अवलोकन किया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भीमपुरा में दो कमरों का पक्का भवन बना हुआ है। राज्य सरकार ने पठन सामग्री एवं चार्ट इत्यादि प्रदान कर रखे है परन्तु उनकी देखभाल की व्यवस्था ठीक नहीं पायी गयी। विद्यालय में एक मात्र महिला शिक्षिका पद स्थापित है। विद्यालय भवन की चारदिवारी नहीं है, इसकी आवश्यकता है। विद्यालय भवन

में शौचालय का निर्माण भी कराया है। विद्यालय में अध्ययरत विद्यार्थियों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. स.	कक्षा	छात्र	छात्राऐं	योग
01	01	06	08	14
02	02	05	04	09
03	03	02	08	10
04	04	03	04	07
05	05	03	02	05

उक्त छात्र–छात्राओं में से केवल 10 विद्यार्थी ही अपिव/सामान्य तथा अनुसूचित जाति के है, शेष सभी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विद्यार्थियों से पुस्तक पठन करवाया तथा पहाड़े भी सुने तथा विद्यार्थी को पढ़ाई में अधिक मेहनत करने हेतु बताया एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को विशेष ध्यान देने हेतु कहा गया।

(कार्यवाही शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन– बून्दी)

ग्राम – सुन्दरपुरा लोईचा

पंचायत मुख्यालय ग्राम – सुन्दरपुरा लोईचा में हुई ग्रामवासियों से बैठक में सर्वप्रथम श्री गोपीलाल भील, सरपंच द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया। बैठक में जिला प्रशासन की ओर से सहायक जिला कलक्टर एवं विकास अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में ग्रामवासियों द्वारा निम्न समस्याओं से अवगत कराया।

1. ग्रामवासियों ने बताया कि विगत एक वर्ष से पंचायत में मनेरगा के कार्य बन्द है।
2. अनुसूचित जनजाति वन अधिकार अधिनियम – 2006 का जिले में क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।
3. सुन्दरपुरा लोईचा के पास मेज नदी पर भीमबस्ती पलका के समीप एनिकट बनाने की आवश्यकता है।
4. सुन्दरपुरा गांव में विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं होने की शिकायत प्राप्त हुई।
5. लुहारपुरा गांव के दो निःशक्त आरक्षित वर्ग के युवकों को जिला प्रशासन द्वारा रोजगार/आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाई है।
6. गांव के कई वृद्धावस्था पेंशन के प्रकरण कई वर्षों से लम्बित पड़े है।
7. गांव में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कर उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है परन्तु सफलता के मापदण्डों पर अभी तक कोई भी स्वयं सहायता समूह खरे नहीं उतरे है। अतः स्वयं सहायता समूहों को अधिक आर्थिक सहायता तथा उत्पादित वस्तुओं के सही विपणन की आवश्यकता पर बल दिया।
8. गुंवार गांव में 11, लोईचा में 3 तथा सुन्दरपुरा में एक एनिकट के निर्माण की आवश्यकता है।

(कार्यवाही वन विभाग एवं जिला प्रशासन–बून्दी)

उक्त के अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्राम – श्यामू, पंचायत समिति – लोईचा, ग्राम – गोवर्धनपुरा, पंचायत समिति – जांवटीकलां का भी दौरा किया। इन गांवों में ग्रामवासियों से बैठक के समय निम्न विकास समस्याऐं दृष्टिगोचर हुई।

1. ग्राम – गोवर्धनपुरा में ट्रांसफार्मर पर ओवर लोड़िंग कम करने के लिए तत्काल ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।
2. जिला मुख्यालय से मात्र सात किलोमीटर दूर सीलोर में बालिका मॉडल स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। जबकि मॉडल विद्यालय का निर्माण जिला मुख्यालय से दूर आदिवासी बाहुल्य गांव में कराने की आवश्यकता थी। जिससे आदिवासी बालिकाओं को भी अध्ययन के उचित अवसर मिल सकें तथा दूसरे बालक भी उससे प्रोत्साहित हो सके।
3. आदिवासी गांव गोवरधपुरा, जांवटीकलां, नयागांव, औकांरपुरा इत्यादि गांवों के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है।
4. खटकड़ अथवा नैनवां में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।
5. इस क्षेत्र में फैली हुई नहरों की मरम्मत की आवश्यकता है, जिससे टेलऐण्ड पर भी किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल सकें।
6. रणथम्भौर से बूंदी तक बनाये जा रहे आरक्षित अभ्यारण के कारण आदिवासी किसानों की खातेदारी जमीन पर किसान क्रेडिट एवं ऋण बैंकों द्वारा प्रदान नहीं किये जा रहे है। जिसके लिए जिला प्रशासन को वन विभाग, राजस्व बैकों के साथ आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।
7. विद्यालय के अध्यापकों की सर्वे/पल्स पोलिया/चुनाव/जनगणना इत्यादि में ड्यूटी लगा दी जाती हैं जिससे बच्चों का अध्ययन प्रभावित होता है।
8. वन अधिकार अधिनियम – 2006 की अनुलापना जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे बून्दी जिले में एक भी आदिवासी को वनभूमि में अभी तक पट्टा नहीं दिया गया है, जबकि 2005 से पूर्व आदिवासी वनभूमि पर खेती कर रहे है। जिला प्रशासन द्वारा कोई जनसूचना अभियान इस बारे में नहीं चलाया गया है।
9. जिला प्रशासन द्वारा कई जगह गलत एनिकटों का निर्माण कर दिया गया है।
10. विद्यार्थियों को छात्रवृतियों का समय पर भुगतान नहीं होता है।
11. अधिकांश पंचायतों में महानरेगा के कार्य बन्द है। जिन्हें तत्काल प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही वन विभाग, शिक्षा विभाग, ज.वि.वि.नि.लि. एवं जिला प्रशासन–बून्दी)

दिनांक – 12/02/2012

दिनांक – 12/02/2012 की प्रातः 9.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बून्दी सर्किट हाउस में आदिवासी जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकारों से चर्चा करी तथा जिले में आदिवासी विकास से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त किये जिन पर कार्यवाही करते हुए आयोग के क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा सम्बन्धित विभागों को लिखा जा चुका है। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों की सूची अनुलग्नक – 3 पर सलंग्न है।

दिनांक – 12/2/2012 को प्रातः 10.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्षा श्रीमति ममता शर्मा से भी मुलाकात की तथा अपने दो दिवसीय बूंदी प्रवास के समय बूंदी जिले की आदिवासी महिलाओं की आदिवासी ग्राम दौरे के समय आई समस्याओं/शिकायतों, महिला प्रस्थिति तथा शिक्षा की वस्तुस्थिति पर चर्चा की।

दिनांक – 12/2/2012 को 11.00 बजे जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय का जिला प्रशासन की ओर से जिला कलक्टर – आरती डोगरा द्वारा स्वागत करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों से परिचय कराया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण अनुलग्नक – 4 पर सलंग्न है। जिला प्रशासन द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत जिले का विवरण, जिला स्तरीय समीक्षा हेतु आयोग कार्यालय द्वारा प्रेषित् प्रश्नावली का प्रत्योत्तर एवं विकास कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट अनुलग्नक – 5 पर सलंग्न है। बैठक में पुलिस अधीक्षक, श्री डी. एस. चूण्डावत ने जिले में अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम – 1989 के तहत विगत 3 वर्षों में दर्ज प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में चलाई जा रही योजनाओं एवं छात्रवृत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया। डॉ. ओ. पी. वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण एवं आगामी चिकित्सा सुविधाओं के विकास की योजना प्रस्तुत करी।

बैठक में वन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी की अनुपस्थिति को माननीय अध्यक्ष महोदय ने गम्भीरता से लेते हुए मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान सरकार से इसका स्पष्टीकरण आयोग को भेजने एवं वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी को आयोग मुख्यालय स्तर पर बैठक करने का निर्णय किया गया। फिल्ड विजिट तथा माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर जिला प्रशासन को कार्यवाही बाबत् दिये गये मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है।

1. लाखा की झोपड़ी, भीमपुरा, पंचायत समिति – तालेड़ा तथा सुन्दरपुरा लोईचा, पंचायत समिति – बून्दी अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में आवागमन हेतु सड़क मार्ग नहीं है।
2. लाखा की झोपड़ी में विगत 2 वर्षो से पटवारी नियुक्ति नहीं होने एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा दायित्व विमुखता के कारण ग्राम पंचायत द्वारा समय पर सभी विकास कार्यों एवं नरेगा वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जाना चाहिये।
3. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शोचालय निर्माण को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।
4. ग्राम लाखा की झोपड़ी से निबुंदा नाले पर पुलिया बनाये की आवश्यकता है जिससे पंचायत समिति मुख्यालय पर बने माध्यमिक विद्यालय में बारिश के समय छात्र–छात्राओं को आवागमन में सुगमता रहे।
5. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लाखा की झोपड़ी में बच्चों के ज्ञानवर्धन हेतु पठन सामग्री की स्थिति बहुत ही खराब है।
6. भीमपुरा गांव के निकट स्थित गरड़दा बांध के मरम्मत की आवश्यकता है।

7. भीमपुरा गांव के नाम से पेयजल हेतु स्वीकृत ट्यूबवैल को पूर्व स्थानिक राजनैतिक व्यक्ति द्वारा अपने खेत में लगवा लिया है। गांव अभी भी पेयजल समस्या से ग्रस्त है।
8. भीमपुरा गांव की चारागाह भूमि पर भी पूर्व स्थानीय राजनेता द्वारा कब्जा कर रखा है।
9. आदिवासी ग्राम नया गांव, लुहारपुर, भीमपुरा तथा लाखा की झोपड़ी में विद्युत सप्लाई कृषि हेतु आपूर्ति समय बढ़ाने तथा ग्राम – लुहारपुरा में ट्रासफार्मर पर ओवर लोड़िग को कम करने हेतु तत्काल ट्रासफार्मरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। जिससे आदिवासी परिवारों को विद्युत आपूर्ति नियमित होती रहे।
10. ग्राम – लुहारपुरा में घरेलू कनेक्शनों की मीटर रीड़िग नहीं लेकर विगत कई वर्षो से अनुमानित बिल दिया जा रहा है। इस समस्या के निदान हेतु मीडर रीडर एवं पर्यवेक्षक अधिकारी के नम्बर ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापित करवाने की आवश्यकता है।
11. बून्दी तहसील में विगत एक वर्ष से नरेगा के कार्य बाधित चल रहे है।
12. भीमपुरा आदिवासी गांव में बाढ़ राहत में स्वीकृत पुलिया मरमम्त हेतु धन का उपयोग नहीं हुआ है।
13. सुन्दरपुरा लोईचा ग्राम के निकट मेज नदी पर भील बस्ती, पालका के निकट एनिकट बनाये जाने की आवश्यकता है।
14. लुहारपुरा के दो शारीरिक रूप से निःशक्त युवकों को आर्थिक सहायता/रोजगार प्रदान कराये जाने की आवश्यकता है।
15. बून्दी जिला मुख्यालय से मात्र 7 किमी दूर सीलोर में मॉडल स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, जबकि मॉडल स्कूल का निर्माण जिला मुख्यालय से दूर के आदिवासी ग्रामों में करने की आवश्यकता है, जिससे आदिवासी बालिकाओं को अध्ययन हेतु अवसर प्रदान किया जा सकें।
16. आदिवासी ग्राम गोवर्धनपुरा, ग्राम पंचायत – जांवटीकलां को तत्काल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता है।
17. वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रकरणों के निष्पादन हेतु जिला प्रशासन उदासीन है। समितियों का गठन तक नहीं किया गया है।
18. वन्य अभ्यारण के कारण अभ्यारण के निकटवर्ती ग्रामों के आदिवासी किसानों को बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक ऋण तथा अन्य राजस्व लाभों से वंचित किया जा रहा है, जिसके निदान की तत्काल आवश्यकता है।
19. ग्राम – लुहारपुरा में कई जगह एनिकट निर्माण का कार्य नरेगा के तहत करवाने तथा मोतीपुरा बांध की उंचाई बढ़ाये जाने की आवश्यकता बताई।
20. ग्राम – श्यामू में बनाया जा रहा एनिकट तकनीकी रूप से कारगर नहीं होने के उपरान्त भी जिला प्रशासन द्वारा उसके निर्माण पर अनावश्यक व्यय किया जा रहा है।
21. ग्राम – श्यामू में वर्ष 1997 में बनाया गया सामुदायिक भवन केवल कागजों में ही बना है। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल स्थलीय जांच करवाते हुए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

22. ग्राम – लुहारपुरा में कार्यरत अध्यापकों को सर्वे कार्यों में लगा देने के कारण विद्यार्थियों को अध्ययन का नुकसान हो रहा है।
23. आदिवासियों ने बताया की कई आदिवासी परिवारों को बी. पी. एल. की श्रेणी से बाहर कर सक्षम परिवारों को सूचीबद्ध कर दिया गया है। जिसकी जांच करवाये जाने की आवश्यकता है।
24. स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने से पूर्व प्रशिक्षण नहीं दिलवाया गया है।
25. ग्राम – लुहारपुरा में विगत दो वर्ष पूर्व नरेगा के तहत किये गये कार्यों का भुगतान आज तक आदिवासी परिवारों को नहीं किया गया है।
26. जिला मुख्यालय से दूर स्थित आदिवासी गांवों के निकट जांवटीकलां ग्राम पंचायत इत्यादि के आस – पास सीनियर सैकण्डरी विद्यालय क्रमोन्नत करने तथा आदिवासी बालिकाओं हेतु आश्रम छात्रावास का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग को भेजने की आवश्कयता है।

(कार्यवाही जिला प्रशासन–बून्दी)

फिल्ड विजिट के समय बून्दी जिले के ढ़ाबी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आंवटित भूमि को आंवटित व्यक्तियों द्वारा राज्य सरकार को समर्पित कर देने तथा उसी भूमि को राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को आवंटित करने के प्रकरणों की जानकारी माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया। आदिवासियों की कृषि भूमि को गैर आदिवासियों को स्थानान्तरण करने का खान भू–माफियों द्वारा रास्ता निकाल लिया गया है। राज्य सरकार के कानून को प्रभावहीन करते हुए आदिवासियों का शोषण राज्य सरकार द्वारा ही किया गया। यह एक गम्भीर अपराध प्रतीत होता है। इसकी जिला प्रशासन से आयोग को 15 दिवस में विस्तृत रिपोर्ट भेजने हेतु बैठक में माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में जिला प्रशासन से सूचना मंगवाने बाबत् आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा लिखा गया पत्र दिनांक – 5/3/2012 अनुलग्नक – 6 पर सलंग्न है। जिला प्रशासन से वांछित सूचना अभी तक प्रतिक्षित है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संदर्भ में यह निश्चित किया कि राज्य सरकार के सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं जिला कलक्टर को आयोग मुख्यालय में एक बैठक करेगें। जिससे इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो सकें।

(कार्यवाही आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक के अन्त में सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन हुआ।

दिनांक – 12/02/2012 को अपरान्ह 3.00 बजे अखिल भारतीय श्री मीणा समाज, जिला – बून्दी द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव – 2012 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता – श्री रामनारायण मीणा, विधायक, देवली – उनियारा ने की। श्री शिवजीराम मीणा, विधायक – जहाजपुर, श्री कैलाश मीणा, विधायक – मनोहरथाना तथा डॉ. जी. एस.

सोमवत, निदेशक, रा. अ. जनजाति आयोग, क्षे. का. जयपुर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री मत्स्य भगवान की पूजा–अर्चना के साथ समारोह का प्रारम्भ हुआ। उसके उपरान्त अखिल भारतीय श्री मीणा समाज, जिला – बून्दी के पदाधिकारियों द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रम में पद्यारें अन्य आदिवासी विभूतियों का राजस्थानी परम्परा के अनुसार साफा पहना कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का मुद्रित विवरण अनुलग्नक – 7 पर सलंग्न है। कार्यक्रम में पद्यारे लगभग 10,000 आदिवासी जनसमुदाय में आयोग क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुद्रित करवाये गये आयोग परिचय पत्रिका का वितरण किया गया। कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्‌बोधन में भील तथा मीना आदिवासी समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से मनाये जाने वाले इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए आदिवासी महिलाओं एवं पुरूषों से आदिवासियों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने, सामुदायिक पहल के द्वारा समाज में व्याप्त कुरूतियों तथा बुराईयों विशेषतः बाल विवाह, नशा इत्यादियों को दूर करने पर जोर दिया। अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्‌बोधन में बून्दी जिला के विभिन्न आदिवासी बाहुल्य गांवों के गांवों के दौरे के समय ग्रामवासियों द्वारा बतायी गई विभिन्न समस्याओं पर भी आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को निर्देशित किया। अखित भारतीय श्रीमीणा समाज बून्दी को वन अधिकार अधिनियम – 2006 के तहत श्रीमत्स्य भगवान के मन्दिर तथा छात्रावास हेतु आवंटित करते हुए सामुदायिक कब्जा एवं पट्‌टा वन भूमि पर प्रदान किया जाना चाहिये। सामुदायिक कार्यक्रम के अन्त में माननीय अध्यक्ष के कर–कमलों से आदिवासी समाज के मेधावी छात्र–छात्राओं एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को सम्मानित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के बून्दी राजकीय प्रवास के संदर्भ में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार अनुलग्नक – 8 पर सलंग्न है। उक्त राजकीय प्रवास के दौरान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के डॉ. जी. एस. सोमावत, निदेशक तथा श्री चेतन कुमार शर्मा, अन्वेषक, माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ रहे। दिनांक – 12/2/2012 को सायं माननीय अध्यक्ष महोदय कोटा से रेलमार्ग द्वारा नई दिल्ली को प्रस्थान किया।

....